इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 जून 2023—ज्येष्ठ 25, शक 1945

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2023

अधि.व्र 13 } UDH/3/3/4/0008/2022/18–3 : मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नंगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

:: संशोधन ::

उक्त नियमों में, नियम 238 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थातः–

"238 तकनीकी स्वीकृति – अंतिम विस्तृत योजना तथा प्राक्कलनों को तकनीकी स्वीकृति देने की शक्तियां सक्षम प्राधिकारियों में निम्नानुसार वेष्ठित होंगी :–

(क) समस्त नवीन कार्यों के लिएः–

अनुक्रमांक	तकनीकी स्वीकृति प्राधिकारी	समस्त नवीन कार्यों के लिए	समस्त मरम्मत कार्यों के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहायक यंत्री	रूपये दो लाख तक	यदि विस्तृत प्राक्कलन की राशि में प्रशासकीय अनुमोदन के 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है अथवा बीस प्रतिशत तक कमी होती है, उस दशा में प्राक्कलन का पुनरीक्षित अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
2.	कार्यपालन यंत्री	रूपये तीन करोड़ तक	
3.	अधीक्षण यंत्री	रूपये पांच करोड़ तक	
4.	मुख्य अभियंता	रूपये दस करोड़ तक	
5.	प्रमुख अभियंता	समस्त शक्तियां	

(ख) समस्त मरम्मत कार्यों के लिए

अनुक्रमांक	तकनीकी स्वीकृति प्राधिकारी	समस्त नवीन कार्यों के लिए	समस्त मरम्मत कार्यों के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहायक यंत्री	रूपये एक लाख तक	—
2.	कार्यपालन यंत्री	रूपये दस लाख तक	
3.	अधीक्षण यंत्री	रूपये पच्चीस लाख तक	
4.	मुख्य अभियंता	रूपये पचास लाख तक	
5.	प्रमुख अभियंता	समस्त शक्तियां	

टिप्पणी :– यदि सहायक यंत्री पदस्थ नहीं है तो तकनीकी स्वीकृति देने की शक्तियां कार्यपालन यंत्री को उसमें निहित शक्तियों की सीमा तक निहित रहेंगी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2023

क्र. 13-UDH-3-3-4-0008-2022-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13-UDH-3-3-4-0008-2022-अठारह-3, दिनांक 15 जून 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 15th June 2023

Noti. no. 13 UDH / 3 / 3 / 4 / 0008 / 2022 / 18–3: In exercise of the powers conferred by section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipalities (Accounts and Finance) Rules, 2018, namely: -

AMENDMENTS

In the Said Rules, For rule 238, the following rule shall be substituted, namely;

"238-Technical Sanction- Powers to accord technical sanction to final detailed plan and estimates shall vest with the competent authorities as under:

(a) For all new works: -

S.No.	Technical Sanction Authority	For all new works	For all repair works
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Assistant Engineer	Up to Rupees Two Lakhs	In case the amount of detailed estimate exceeds by more than Twenty Percent or reduced by Twenty Percent of the Administrative Approval, in that case revised approval of the estimate shall be taken.
2	Executive Engineer	Up to Rupees Three Crores	
3	Superintending Engineer	Up to Rupees Five Crores	
4	Chief Engineer	Up to Rupees Ten Crores	
5	Engineer-in-Chief	Full Powers	

(b) For all repair works

S.No.	Technical Sanction Authority	For all new works	For all repair works
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Assistant Engineer	Up to Rupees One Lakh	
2	Executive Engineer	Up to Rupees Ten Lakhs	
3	Superintending Engineer	Up to Rupees Twenty Five Lakhs	
4	Chief Engineer	Up to Rupees Fifty Lakhs	
5	Engineer-in-Chief	Full Powers	

Note: In case Assistant Engineer is not posted, the powers to accord technical sanction shall vest with Executive Engineer limited to his vested power.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023